आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बे

वाद सं०- 101/12-13, श्री गोकुल राम बनाम जग राम वगैरह

केस का प्रकार - BLDR ACT

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
23/2/13	आदेश प्रतिनिधि उपस्थित। अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं लिखित जवाब के अवलोकन से यह बात उभर कर सामने आती है कि प्रश्नगत विवादित भूमि खाता-161, खेसरा-124, रकबा - 1 एकड़ 17 धुर (थाना नं0 -15, मौजा - बैरिया, अंचल - बेतिया) पर उभय पक्ष अपना दावा पूर्वजों की भूमि होने तथा उनके बीच हुए बटवारे से प्राप्त हक-हकियत के आधार पर ही उभय पक्ष मूल खतियानधारी के वंशज होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत वंशावली को गलत एवं त्रुटि पूर्ण करने का आरोप एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे पक्ष पर लगाया जा रहा है।	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में स्पष्ट है कि खतियान में अंकित खतियानधारी के वंशज होने के आधार पर हक-हकियत तथा बटवारा के आधार पर हक-हिस्सा मिलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि के बटवारा में प्राप्त होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। जिससे उन्हें न्यायालय के किसी न्याय-निर्णय पर पहुँचने में सहूलियत हो। प्रश्नगत मामला स्वत्व, हक-हकियत, हिस्सा के निर्धारण से जुड़ा होने तथा इस वाद में स्वत्व निर्धारण के संलिप्त तत्व के समाहित होने के कारण बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4(5) के तहत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है तथा पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में जाने के लिए सलाह दी जाती है। [illegible] [illegible]/4/13 भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया। न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता	